न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27/2022/प्रा.पत्र/2022	09.05.2022	20.09.2024

डॉ0 मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल एफ.बी.ओ. मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक (राज0) निवासी पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड—304804

............अप्रार्थी

जुर्म धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित।

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक 20.09.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 01.02.2022 को समय 02:41 पी.एम. पर मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक (राज0) पर पहुंचा। वहां पर श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल ने स्वयं को मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार सिंहल अग्रसेन बाजार देवली जिला टोंक(राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए गुड, तेल, घी, मसाले, कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थों के साथ **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** के 200—200 ग्राम के लगभग 21 नग दुकान में कागज के एक कार्टून में पैक्ड अवस्था में रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर श्री नरेन्द्र सिंहल एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं दुकान में कागज के कार्टून मे रखे 200–200 ग्राम के 21 नग मूल पैक में से 4 नग **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** के 200–200 ग्राम के 4 नग में से 200–200 ग्राम को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3056 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3056 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक ने विक्रेता को पत्र प्रेषित कर बिल चाहा परन्तु विक्रेता ने कोई बिल प्रेषित नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/703 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल0एस0/609/एक्ट/2022/647 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रस्क टोस्ट डेली फ्रेश श्योमाल ब्राण्ड (Rusk Daily Fresh Sheoomal Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक